

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 18(5)त.शि./2004

जयपुर, दिनांक : 06 जुलाई, 2016

--: आदेश ::--

26

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ईस्लामिक एकेडमी ऑफ एज्युकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 14.08.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2016-17 के लिये शुल्क संरचना की जानी है परन्तु अंतिम शुल्क निर्धारण में समय लगने की संभावना है। चूंकि प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। अतः इस स्टेज पर अन्तरिम फीस निर्धारण करना उचित है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुये कमेटी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक संस्थान वर्तमान सत्र के लिये प्रत्येक कोर्स की सेमेस्टर-वाइस अन्तरिम फीस का निर्धारण करें, परन्तु उक्त कुल अन्तरिम फीस की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। संस्थानों द्वारा निर्धारित उक्त अन्तरिम फीस उनके अकाउण्ट्स पर आधारित व न्यायसंगत होनी चाहिए।

सत्र 2016-17 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये निम्नानुसार वार्षिक कुल अन्तरिम शुल्क संरचना की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	आदेश दिनांक 05.07.2013 द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा (रूपये)	वर्तमान सत्र 2016-17 के लिये अन्तरिम शुल्क की निर्धारित अधिकतम सीमा (रूपये)	कॉशनमनी (रिफण्डेबल) (रूपये)
1	ME/M.Tech./BE/B/Tech./M.Arch./B Arch./BHMCT	70,000	77,000	7,500
2	Dual Degree Program in Management (MAM)- 5 Years	70,000	77,000	7,500
3	Integrated Course (B.Tech.+ MBA)- 5 ½ Years	70,000	77,000	7,500
4	MBA/MCA	55,000	60,500	7,500
5	Diploma HMCT	35,000	38,500	7,500
6	Diploma Engineering/Diploma Non-engineering	28,000	30,800	7,500

विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 के दौरान गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये अन्तरिम शुल्क संरचना इस शर्त के साथ लागू की जाती है कि समिति द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिये अंतिम रूप से निर्धारित की जाने वाले शुल्क संरचना यदि अधिक होती है तो संबंधित छात्र/छात्राओं द्वारा शेष राशि प्रवेश पाले वाले संस्थान में जमा करायी जायेगी तथा शुल्क राशि में कमी होने की दशा में संबंधित संस्थान द्वारा शेष अधिक्त राशि छात्र/छात्राओं को वापस लौटायी जायेगी।

उक्त अन्तरिम शुल्क संरचना सत्र 2016-17 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों पर ही लागू होगी। सत्र 2016-17 से पूर्व जिन विद्यार्थियों ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया है उन पर उस वर्ष की अन्तरिम शुल्क संरचना ही प्रभावशील रहेगी, जब तक कि समिति के द्वारा अंतिम शुल्क संरचना का निर्धारण नहीं किया जाता।

इसके अतिरिक्त 3000/- रुपये प्रतिवर्ष ऐसे छात्र/छात्राओं से लिया जायेगा जो National Board of Accreditation (NBA) द्वारा Accredited Branch में प्रवेश लेते हैं।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय विकास शुल्क विद्यार्थियों से संस्थानों द्वारा अलग से वसूल किया जावेगा जो कि संस्थानों द्वारा प्रवेश सूची के अनुमोदन के साथ ही जमा कराना अनिवार्य होगा।

कॉशनमनी केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से ही प्राप्त की जायेगी तथा पाठ्यक्रम समाप्ति के पश्चात नियमानुसार संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को लौटा दी जायेगी।

उक्त अन्तरिम शुल्क संरचना वार्षिक है तथा संस्थानों द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित शर्तों के अनुसार ली जावेगी।

**-: Conditions:-**

The above interim fee shall be charged subject to the following conditions:-

1. The above fee structure shall be applicable for the first year students admitted in academic session in 2016-17
2. The fee shall be collected semester-wise and not for the entire year.
3. The institutions are directed not to charge fee in excess of the revised fee and any such violation of the directions shall be views seriously.
4. Other charges like Transportation/Hostel & Mess charges shall be chargeable on actual basis i.e. without any profit & loss, the charges /caution money etc. shall have to be published on institutional website and also be informed to the Committee.
5. Every penny collected from students, whatsoever, and in any form, shall be will accounted for, the head-wise accounts shall separately be maintained and included in college/institution accounts. No diversion of fund from the institution shall be made to Society/Trust or even to any other institution under the same institution only.
6. The Society/Trust expenditure shall not be claimed in the institution. The account of institution shall be separate from the account of Society/Trust.
7. Faculty shall be recruited as per AICTE Norms and salary full DA is to be paid accordingly.
8. The development & depreciation amount is to be deposited in a separate account " Depreciation Reserve Fund"
9. If at the time of inspection/Scrutiny of accounts, it is found that the above conditions are not followed or false accounts have been prepared, suitable action will be taken.

आज्ञा से,

(राजहंस उपाध्याय)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.